राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेरी पथ, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर

क्रमांकः एफ 32(1)(2)बा.अ.वि./आई.सी.पी.एस./चाईल्ड टैकिंग पत्रा/14/35123 जयपुर, दिनांक 28/2/19

श्री जंगा श्रीनिवास राव,
अतिरिक्त महानिदेशक,
सिविल राईट्स, पुलिस मुख्यालय,
जयपुर, राजस्थान।

विषयः– चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम वेबसाइट www.trackthemlssingchlld.gov.in पर गुमशुदा बच्चों की एन्ट्री के संबन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य में प्राप्त एवं गुमशुदा बच्चों के त्वरित पुनर्वास हेतु निर्मित चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम वेबसाइट www.trackthemlssingchlld.gov.in का निर्माण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट पिटीशन (सी) 473/2005 सम्पूर्ण बहुरूआ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अन्य व माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचारधीन रिट पीटीशन (सी) 75/2012 बचपन बचाओं आंदोलन बनाम भारत सरकार एवं अन्य की पालना में किया गया है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य पुलिस के समक्ष प्राप्त/गुमशुदा प्रकरणों की एन्ट्री www.trackthemlssingchlld.gov.in पर करते हुए प्राप्त एवं गुमशुदा बच्चों को उनके परिवार में त्वरित पुनर्वास प्रदान करना है।

इसी परिपेक्ष्य में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 32 (2) के तहत् प्राप्त/ गुमशुदा बच्चों की सूचना अनिवार्य रूप से 24 घण्टे के भीतर भारत सरकार द्वारा निर्धारित पोर्टल पर अपलोड किया जाना अपेक्षित है। उक्त की अवमानना को धारा 33 के तहत अपराध के रूप में माना जाएगा तथा धारा 34 के तहत 6 माह तक का कारावास या दस हजार रूपए तक के जुर्माने का या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

विभाग द्वारा उक्त अधिनियम की पालना में चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम पर एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया साथ ही समय-समय पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भी प्रशिक्षण शिवरों का आयोजन किया जाता है एवं www.trackthemlssingchlld.gov.in पर राज्यों द्वारा की एन्ट्रीयों की समीक्षा भी की जाती हैं। दिनांक 08.01.2019 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें विभाग की ओर से निदेशक महोदया द्वारा भाग लिया गया। उक्त संगोष्ठी में इस विषय को गम्भीरता से उठाया गया एवं अवगत कराया गया कि पुलिस विभाग द्वारा संधारित रिकोर्ड की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि कुल ऑनलाईन पंजीकृत पुलिस थानों में से अधिकांश पुलिस थानों द्वारा पोर्टल पर बच्चों की एन्ट्री नियमित रूप से प्रविष्ट नहीं की जा रही है। शीघ्र ही माननीय उच्चतम न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा भी पोर्टल की समीक्षा की जावेगी।

अतः उक्त के कम में अनुरोध है कि भारत सरकार से SCRB/DCRB/Police Station को प्राप्त मैन्युअल की प्रति संलग्न कर संबंधित SCRB/DCRB/Police Station को प्राप्त/गुमशुदा बच्चों की सूचना पोर्टल में नियमित एन्ट्री/अपडेट/पर्यवेक्षण/निगरानी करने हेतु पाबन्द करने का श्रम करावें, जिससे कि राज्य में गुमशुदा एवं प्राप्त बच्चों के पुनर्वास में सहयोग प्राप्त हो एवम् प्रगति ली जा सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

निदेशक
बाल अधिकारिता विभाग

96

Desktop/adoption/letters

Scanned by CamScanner